स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 162, दिनांक 26–05–2025

जनपद–कौशाम्बी में नाबालिग बच्चे का अपहरण कर फिरौती मांगने वाले गिरोह का सरगना व 50,000/– रू0 का पुरस्कार घोषित अभियुक्त शिवबाबू मौर्या गिरफ्तार।

दिनांक 26–05–2025 को एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को थाना सैनी, जनपद कौशाम्बी पर पंजीकृत मु0अ0सं0–121/2025 धारा–140(2)/140(3)/351(3)/3(5) बी0एन0एस0 में वांछित एवं 50,000/–रू0 के पुरस्कार घोषित अभियुक्त शिवबाबू मौर्या को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

शिवबाबू मौर्या पुत्र राम गोपाल, निवासी पिपरकुण्डी पो0 गुआरा, थाना करारी, जनपद कौशाम्बी।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः–

रोडवेज बस अड्डा सैनी के पास, थाना क्षेत्र सैनी जनपद कौशाम्बी, दिनांकः 26–05–2025, समय 01:20 बजे रात्रि।

एसटीएफ उ0प्र0 को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों द्वारा सक्रिय आपराधिक घटनाएँ कारित करने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एसटीएफ की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री शैलेश प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री जय प्रकाश राय, एसटीएफ फील्ड इकाई प्रयागराज के नेतृत्व में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

एसटीएफ प्रयागराज की टीम जनपद कौशाम्बी थाना क्षेत्र सैनी में वांछित व पुरस्कार घोषित अभियुक्तों की तलाश/अभिसूचना संकलन में भ्रमणषील थी। इस दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि थाना सैनी में पंजीकृत मु0अ0सं0–121/2025 में वांछित एवं 50,000/–रू0 के पुरस्कार घोषित अभियुक्त शिवबाबू मौर्या रोडवेज बस अड्डा सैनी के पास मौजूद है तथा कहीं बाहर भागने की फिराक में है। मुखबिर द्वारा दी गयी सूचना पर विश्वास कर उपनिरीक्षक श्री रणेन्द्र कुमार सिंह, मुख्य आरक्षीगण प्रभन्जन पाण्डेय, रोहित सिंह, संतोष कुमार, किशनचन्द्र व आरक्षी चालक अखण्ड प्रताप पाण्डेय की टीम द्वारा रोडवेज बस अड्डा, थाना क्षेत्र सैनी जनपद कौशाम्बी से अभियुक्त शिवबाबू मौर्या उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त शिवबाबू मौर्या उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि वह डी–फार्मा की पढ़ाई भोपाल से पूरी करने के बाद गॉव में ही प्रैक्टिस कर रहा था। उसकी दोस्ती गुड्डू यादव पुत्र राम प्रताप निवासी ग्राम अमुरा, थाना करारी जनपद कौशाम्बी से हुई। गुड्डू यादव अपने दोस्त सुभाष चन्द्र विश्वकर्मा पुत्र राम सिंह निवासी चक सैय्यद अलीपुर थाना करारी जनपद कौशाम्बी, अमित यादव पुत्र अजय सिंह निवासी ग्राम अड़हरा थाना करारी जनपद कौशाम्बी व अरविन्द यादव निवासी टेवा, जनपद कौशाम्बी से मुलाकात करायी। जिनके साथ इसका भी उठना बैठना शुरू हो गया। इसी दौरान इन लोगों को ज्ञात हुआ कि अरविन्द यादव के पुराने दोस्त भारत लाल विश्वकर्मा के पिता रामशिरोमणि विश्वकर्मा 80 लाख रूपये की जमीन बेंचे है। इसी लालच में आकर

यह लोग मिलकर रामशिरोमणि के नाबालिक पुत्र प्रतीक विश्वकर्मा उर्फ रितिक विश्वकर्मा का अपहरण करने की योजना बनाये और रैकी करना शुरू कर दिया। घटना को अंजाम देने के लिये अरविन्द यादव ने एक गाड़ी की व्यवस्था किया तथा सभी लोगों को अलग–अलग काम बांट दिया। षिवबाबू मौर्या द्वारा योजनाबद्ध तरीके से दिनांक 05–04–2025 की रात्रि में बरामदे में सो रहे प्रतीक विश्वकर्मा उर्फ रितिक विश्वकर्मा को दवा सुंघाकर बेहोश करके अपहरण कर लिया गया और वहॉ पर फिरौती हेतु 25 लाख रूपये की एक पर्ची रख दिया गया। उक्त अपहरण की घटना के सम्बन्ध में थाना सैनी, कौषाम्बी में अभियोग पंजीकृत हुआ था। स्थानीय पुलिस द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 व्यक्तियों (सुभाष विष्वकर्मा, अमित यादव एवं गुड्डू यादव) को गिरफ्तार जेल भेजा जा चुका है। इस घटना के मास्टर माइण्ड षिवबाबू मौर्या के गिरफ्तारी हेतु रू0 50 हजार का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तारी से बचने के उद्देश्य से इधर–उधर लुक–छिपकर रह रहा था। जिसे एसटीएफ टीम द्वारा आज गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त शिवबाबू मौर्या उपरोक्त को मु0अ0सं0–121/2025 धारा–140(2)/140(3)/351(3)/3(5) बी0एन0एस0 में थाना सैनी जनपद कौशाम्बी में दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा अमल में लायी जायेगी।